आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–59/2023	
11.01.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री कामेश्वर सिंह, ग्राम–लालगढ़ व पंजरी खुर्द, प्रखण्ड–विश्रामपुर, जिला–पलामू, आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, पलामू अनुपस्थित। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, विश्रामपुर द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रेषित पत्रांक–03 दिनांक–09.01.2024 के माध्यम से आयोग को एक प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। इस प्रतिवेदन में शिकायतकर्त्ताओं ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रेषित पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि उन्हें डीलर जितेन्द्र राम से खाद्यान्न प्राप्त हो गया है और अब उन लोगों को कोई शिकायत नहीं है। सभी शिकायतकर्त्ताओं का हस्ताक्षर भी प्रतिवेदन में संलग्न है। शिकयतकर्त्ता द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने के पत्र के आधार पर आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

G:\Rachana jsfc\Court order.docx22